

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नं० - 03/2025

दिनांक : -

1. अमरसिंह पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:- प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. शारदा देवी पत्नी धमेन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सरदारगढिया तहसील भादरा।
4. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नोहर जरिये शाखा प्रबंधक।

:- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए  
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज० कॉल० ए

उपरिस्थिति :- श्री पवन सिहाग प्रार्थी

श्री रामचन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 5/7/2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एनटीआर के खाता सं० 243/3 के मु० न० 97 के किला न० 2/1, 13, 14/1, 17/1, 18, 19 कुल रकबा 1.113 है० नहरी वारानी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चिपते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तरी तरफ अप्रार्थी सं० 1 की चक 3 एनटीआर के खाता सं० 244/3 के मु० न० 97 के किला न० 8/1, 9, 12/2, 14/2, 15/1, 16/1, 17/2, 24 कुल 1.114 है० वारानी नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम के नाम एवं अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम के चिपते हुए उत्तरी और रोही चक 3 एनटीआर के खाता सं० 168/153 के मु० न० 97 के किला न० 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल रकबा 1.012 है० नहरी वारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 2 शारदा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम के मु० न० 97 के किला न० 9 में किला के पश्चिमी साईड एवं किला न० 12/2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण एवं उसके बाद अप्रार्थीया सं० 2 शारदा देवी के नाम मु० न० 97 के किला न० 4 में किला न के पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करता आ रहा है परन्तु उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं है प्रार्थी के लिए उक्त रास्ता निकटतम एम्प्लोयडिजाउनक है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहरी भूमि इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम की चक 3 एनटीआर के मु० न० 97 के किला न० 9 के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौड़ाई में 01 बिस्वा लम्बाई में यानि 0.039 है० उत्तर से दक्षिण एवं किला न० 12/2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौड़ाई में 33 फीट यानि 04 बिस्वा भूमि की लम्बाई में यानि 0.

178 है 0 उत्तर से दक्षिण एवं अप्रार्थीया सं० 2 शारदा देवी की कृषि भूमि चक 3 एनटीआर मु० न० 97 के किला न० 2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 01 बिस्वा लम्बाई यानि 0.039 है 0 भूमि उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत रास्ता पाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हमारी खातेदारी से कोई रास्ता स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर रहे हैं यदि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में उक्त रास्ता बंद कर देते हैं तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आवागमन के अभाव में काशत से प्रभावित रह जायेंगे। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही वालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने सं० 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। व अप्रार्थी सं० 3 व 4 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई व अप्रार्थी सं० 3 व 4 की ओर से प्रार्थी को कोई अनुतोष नहीं चाहा है व तहसीलदार राजस्व भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 2 अपने-अपने हिस्से अनुसार अपनी-अपनी कृषि भूमि काशत कर रहे हैं। प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम की चक 3 एनटीआर के मु० न० 97 के किला न० 9 के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 01 बिस्वा लम्बाई में यानि 0.039 है 0 उत्तर से दक्षिण एवं किला न० 12/2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 33 फीट यानि 04 बिस्वा भूमि की लम्बाई में यानि 0.0078 है 0 उत्तर से दक्षिण एवं अप्रार्थीया सं० 2 शारदा देवी की कृषि भूमि चक 3 एनटीआर के मु० न० 97 के किला न० 2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 01 बिस्वा लम्बाई यानि 0.039 है 0 भूमि उत्तर से दक्षिण रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने सहमति प्रकट कर रास्ता का अंकन किया जाना स्वीकार किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी को देगा व अप्रार्थी सं० 1 रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी सं० 2 को देगा। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 2 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी सं० 1 राधेश्याम की चक 3 एनटीआर के मु० न० 97 के किला न० 9 के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 01 बिस्वा लम्बाई में यानि 0.039 है 0 उत्तर से दक्षिण एवं किला न० 12/2 में किला के पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिस्वा चौडाई में 33 फीट यानि 04 बिस्वा भूमि की लम्बाई में यानि 0.010 है 0 उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाकर व उक्त रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी के नाम भूमि

Vakrat  
अधिकारी (संजलक)  
इंजिनियर

से कम की जाकर अप्रार्थी सं० 1 के चिपते हुए दर्ज की जावे एवं अप्रार्थीया सं० 2  
परदा देवी की कृषि भूमि चक 3 एनटीआर के गु० न० 97 के किला न० 2 में किला के  
पश्चिमी साईड किला लाईन के पास पास 3 बिरवा चौडाई में 01 बिरवा लम्बाई यानि 0.  
39 है० भूमि उत्तर से दक्षिण रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया  
जावे। उक्त रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं० 1 के नाम भूमि में से कम की जाकर  
अप्रार्थी सं० 2 के चिपते हुए दर्ज की जावे। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर  
राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करे।

आज दिनांक 5/7/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।



(कल्पित शिंदे)

R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड मावेरा जिला हनुमानगढ़  
भादव (मिला-रुमावेरा)